न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रवणी देवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	प्रा.पत्र पत्थरगढ़ी हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज ह.र. 58/2024
11.08.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई।
	वकील प्रार्थीयागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में बहस वकील प्रार्थीयागण पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। निर्णयानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
58 / 2024	2024 / 220	02.07.2024	11.08.2025

उनवान प्रकरण

1. श्रवणी देवी पत्नी मदनलाल जाति स्वामी आयु साल, निवासी ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
2. रामकली कंवर पत्नी मानसिंह जाति राजपूत आयु साल, निवासी ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

––प्रार्थीयागण

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला – सीकर राज0।
2. बाबूलाल
3. शम्भूराम
4. सुरेन्द्र कुमार

   पुत्रगण झूंथाराम जाति स्वामी निवासी ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. रूकमा देवी पत्नी रिछपाल जाति अहीर निवासी ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
6. मंदिर श्री सीतारामजी जरिये पुजारी जयदेव पुत्र बोदूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
7. प्रेमराज पुत्र काना जाति दरोगा निवासी ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :–

श्री रक्षपाल स्वामी, एड0 – प्रार्थीगण की ओर से।
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 922/733 रकबा 0.5034 हैक्टर भूमि की प्रार्थीयागण काबिज खातेदार व काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान उप तहसीलदार अजीतगढ़ के आदेश क्रमांक/भू.अ./16 दिनांक 07.06.2022 की पालना में दिनांक 13.06.2024 को पटवारी हल्का पीथलपुर द्वारा किया गया है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थीयागण की उक्त वर्णित भूमियों के पड़ौसी काश्तकार, प्रार्थीयागण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव डोल एंव सीमा चिन्ह आदि को नष्ट कर अतिक्रमण करते आ रहे है तथा कहने सुनने से नहीं मान रहे है तथा लड़ाई झगडा करने पर आमादा रहते है। जिसके कारण प्रार्थीयागण सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2024 के अनुसार विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। मौके पर उक्त पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीयागण को सख्त हक तलफी है। इसलिए प्रार्थीयागण की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमियों की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2024 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थीयागण के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:21 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीयागण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुताबिक में अप्रार्थी संख्या 1 की तामील साधारण तरीके से करवाई जाने के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जाँच रिपोर्ट ली जाने जाने पर जाँच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 392 / भू.अ. / 2025 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि वादग्रस्त भूमि के पडोसी खातेदारान में उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 921 / 733 बाबूलाल, शिम्भूराम, सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण झुथाराम हिस्सा पूर्ण जाति स्वामी व दक्षिण दिशा में भूमि खसरा नम्बर 923 / 733 रुकमा देवी पत्नि रिछपाल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर व पूर्व दिशा में भूमि खसरा नम्बर 759 प्रेमराज पुत्र काना हिस्सा पूर्ण जाति दरोगा सा0 देह व पश्चिमी दिशा में भूमि खसरा नम्बर 731 की खातेदारी मन्दिर श्री सीतारामजी हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 922 / 733 के सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान पक्षकारान् में विवाद की स्थिति थी। सीमाज्ञान के दौरान भूमि खसरा नम्बर 922 / 733 का रकबा मौके पर पुरा होने बाबत अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर पडौसी खातेदार काश्तकार को प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 प्रतिस्थापित किये जाकर उनको सुनवाई हेतु न्यायालय से नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये। जिस पर उक्त अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील प्रार्थीयागण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पर सीधे ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण मे बहस वकील प्रार्थीयागण एक पक्षीय सुनी गई।

दौरान [illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते [illegible] किया कि पत्थरगढी करवाये जाने वाले खसरा नम्बर की खातेदारी [illegible] नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी के मौके पर पडौसी खातेदारान् के द्वारा [illegible]ज्ञान के दौरान विवाद की स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

होने से उनको आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनमें से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। इसलिए पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीयागण के द्वारा किया गया है।

हमने वकील प्रार्थीयागण की एकपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 922 / 733 रकबा 0.5034 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयागण के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थीयागण के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का पीथलपुर के द्वारा दिनांक 13.06.2024 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2024 को उप तहसीलदार अजीतगढ के आदेश क्रमांक 16 / एल.आर. / 2024 दिनांक 07.06.2024 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का पीथलपुर द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीयागण द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीयागण द्वारा प्ररतुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 [illegible] राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का पीथलपुर द्वारा दिनांक 13.06.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर **922/733** रकबा 0.5034 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू. अ. निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर सभी दिशाओं के पड़ौसी खातेदारान् को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2024 के अनुसार बिना सींव डोल को हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को स्वीकृति दी जाती है। उक्त पत्थरगढ़ी आदेश की पालना में किसी प्रकार के कब्जे को हटाने/दिलाने की कार्यवाही नहीं की जावेगी। मुताबिक निर्णय पत्थरगढी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:21 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)